//

बिहार सरकार
गृह विभाग
आदेश

संख्या–जी/आपदा–06–02/2020–298/अ.मु.स.को. पटना, दिनांक 3 मई 2020

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 1 मई 2020 के द्वारा कोविड–19 वायरस का प्रसार रोकने हेतु राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संबंध में नये आदेश निर्गत किये गये हैं। बिहार राज्य के नये–नये क्षेत्रों में कोरोना वायरस के हो रहे लगातार प्रसार तथा आगामी कुछ दिनों में अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों तथा छात्रों के बड़ी संख्या में आगमन की स्थिति को देखते हुए आवश्यक हो गया है कि बिहार में लॉकडाउन को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू किया जाय।

2. भारत सरकार के उपर्युक्त आदेश के साथ संलग्न गाइडलाईन की कंडिका–10 में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

"All other activities will be permitted activities, which are not specifically prohibited/permitted with restrictions in the various Zones, under these guidelines. However, States/UTs, based on their assessment of the situation, and with the primary objective of keeping the spread of COVID-19 in check, may allow only select activities from out of the permitted activities, with such restrictions as felt necessary."

3. उक्त परिपेक्ष्य में बिहार राज्य में कोविड–19 वायरस के प्रसार को रोकने हेतु निम्नलिखित आदेश दिए जाते है :–

(क) सम्पूर्ण बिहार राज्य में दो ही प्रकार के जोन होंगे। प्रथम, रेड जोन के जिले जो भारत सरकार के मापदण्डों के अंतर्गत समय–समय पर रेड जोन के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे; तथा द्वितीय राज्य के सभी शेष जिले जो ऑरेंज जोन माने जाएगे।

(ख) रेड जोन में भारत सरकार के द्वारा निर्गत सभी आदेश यथावत् लागू रहेंगे, परन्तु भारत सरकार की गाइडलाईन की कंडिका–7(ii) d के अंतर्गत दुकानें खोलने का जो आदेश है वह केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए दुकानें खोलने हेतु अनुमान्य होगा। आवश्यक वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं के संबंध में जिला पदाधिकारी अपने जिले की स्थिति एवं आवश्यकता को देखते हुए अपने स्तर से निर्णय लेकर आदेश निर्गत करेंगे।

(ग) राज्य के ऑरेंज जोन अर्थात रेड जोन से भिन्न सभी शेष क्षेत्रों में भारत सरकार के द्वारा अनुमान्य निम्नलिखित गतिविधियाँ जारी रहेंगी :–
- (i) सभी प्रकार के वस्तुओं के लिए ई–कॉमर्स।
- (ii) सभी प्रकार के निर्माण कार्य।
- (iii) सभी प्रकार के उद्योगों का संचालन।
- (iv) बाल काटने की दुकानें, स्पा और सैलून।

उपरोक्त के अतिरिक्त ऑरेंज जोन के लिए भी वही आदेश होगा जो रेड जोन के लिए है।

(घ) उपरोक्त कंडिका–(क), (ख) एवं (ग) के साथ गृह मंत्रालय के आदेश संख्या–40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 1 मई 2020 की सभी कंडिकाएँ सम्पूर्ण राज्य में यथावत् लागू रहेंगी।

4. निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शर्तों के साथ गृह मंत्रालय के आदेश संख्या–40–3/2020–DM-I(A) दिनांक 1 मई 2020 (छायाप्रति संलग्न) का कड़ाई से पालन किया जाय।

अनु० – यथोपरि ।

3.5.2020

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020–298/अ.मु.स.को.   पटना, दिनांक 3 मई 2020

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020–298/अ.मु.स.को.   पटना, दिनांक 3 मई 2020

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव (श्री अनुपम कुमार)/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव (श्री मनीष कुमार वर्मा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–जी/आपदा–06–02/2020–298/अ.मु.स.को.   पटना, दिनांक 3 मई 2020

प्रतिलिपि : सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित ।

(आमिर सुबहानी)
अपर मुख्य सचिव 3.5.2020